न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग. 2823/पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.04.2016 पारित द्वारा सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, इंदौर प्रकरण क्रमांक 1077/भू-अधि./निरी/2016.

---

1. रामेश्वर पिता मूलचंद
   निवासी- ग्राम रंगवासा
   तहसील व जिला इंदौर
2. नारायणीबाई पति देवराम
   निवासी- ग्राम रंगवासा
   तहसील व जिला इंदौर
3. प्रेमबाई पति माखन
   निवासी- ग्राम कम्पेल
   तह. व जिला इंदौर
4. कांताबाई पति सुरेश
   निवासी- ग्राम बिजलपुर
   तह. व जिला इंदौर
5. श्यामूबाई पति अखिलेश
   निवासी- ग्राम भमौरी
   तह. व जिला इंदौर
6. संगीताबाई पति कैलाश
   निवासी- ग्राम पीवडाय
   तह. व जिला इंदौर
7. अनिताबाई पति निलेश
   निवासी- ग्राम कम्पेल
   तह. व जिला इंदौर
8. ममताबाई पति मनीष

निवासी- ग्राम क्वाली
तह. महू जिला इंदौर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1. ओमप्रकाश पिता उदयराम सिंघवी
2. घनश्याम पिता उदयराम सिंघवी
3. नंदीबाई बेवा उदयराम
4. पुष्पाबाई पति राधेश्याम
5. कृष्णगोपाल पिता राधेश्याम
6. सुनील पिता राधेश्याम
   सभी निवासी- ग्राम रंगवासा
   तह. व जिला इंदौर

.....अनावेदकगण

श्री वी. के. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के. सी. योगी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/9/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 27.04.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक की मालकी, हक्क एवं स्वत्व की भूमि ग्राम रंगवासा स्थित भूमि सर्वे नंबर 335 रकबा 0.696 की है और अनावेदक के मालकी के भूमि रंगवासा स्थित सर्वे नंबर 334 व 337 रकबा क्रमश: 0.227 व 0.713 हैक्टेयर की है। अनावेदक ओमप्रकाश पिता उदयराम द्वारा कार्यालय भू-अभिलेख, जिला इंदौर के समक्ष अपने मालकी के

भूमि रंगवासा के प.ह.नं. 1 में स्थित सर्वे नंबर 334 व 337 का सीमांकन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला इंदौर द्वारा दिनांक 02.04.2016 के पालन में उक्त भूमि का सीमांकन करने हेतु पड़ोसी कृषकों को सूचना पत्र जारी करने के बाद सीमांकन हेतु दिनांक 27.04.2016 नियत की गई और दिनांक 27.04.2016 को सीमांकन किया जाकर आवेदक की 0.20 कड़ी भूमि सर्वे क्रमांक 35 के खातेदार रामेश्वर पिता मूलचंद घगैरा की भूमि में पाई गई। सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) उक्त सीमांकन में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा चांदे पत्थर ढूंढे गये या नहीं तथा स्थायी सीमा चिन्ह न होने की स्थिति में नियम अनुसार सही सीमांकन किये जाने हेतु नजदीक के सर्वे नंबर, जो कि वादग्रस्त भूमि के तीनों तरु की सीमा मिलती हो उसे कानूनी भाषा में तिमडा कहते हैं, परंतु सहायक भू-अभिलेख अधीक्षक द्वारा उक्त नियमों का पालन न करते हुए सीमांकन किया गया है व कानून से अवैध है, जबकि नक्शे अनुसार उनके द्वारा सर्वे क्र. 316 की पश्चिमी मेढ़ का आधार मानकर सर्वे क्र. 322 की दक्षिणपूर्वी मेढ़ की दूर तय की गई और इसी मेढ़ से सर्वे क्र. 337 की उत्तरी पश्चिमी बिंदु कायम किया गया, जबकि नक्शे में सर्वे क्र. 316 का कोई भी उल्लेख नहीं है तथा सर्वे क्र. 322 की दक्षिण मेढ़ की कितनी दूरी है उसका कोई पंचनामा एवं सीमांकन रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है।

(2) सर्वे क्र. 334 एवं 337 की भूमि के दक्षिण पूर्व की ओर ग्राम का रास्ता है उस रास्ते का अपने सीमांकन रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं है, जबकि नक्शे में सर्वे क्र. 334 एवं 337 में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तथा उक्त रास्ता उक्त रासता 70-80 फुट चौड़ा होकर उसका पंचनामे में कोई उल्लेख नहीं है।

(3) सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा आसपास की भूमि एवं आवेदकगण की भूमि की नपती नहीं की गई, इस प्रकार अवैध रूप से सीमांकन किया गया है।

(4) अनावेदकगण द्वारा उसके पूर्व भी सीमांकन करवाया गया था जो प्र.क्र. 6/अ-12/2014-15 में करवाया गया था और उक्त सीमांकन दिनांक 19.05.2015 को किया गया था और उक्त सीमांकन में अनावेदकगण की भूमि विनायक के कब्जे में पायी गई थी, इससे स्पष्ट

है कि अनावेदकगण अवैध सीमांकन के आधार पर अन्य लोगों की भूमि हथियाने की कोशिश कर रहा है।

(5) आवेदकगण को सीमांकन का कोई सूचना पत्र नहीं दिया गया, जो कि कानून से अनिवार्य है। इसलिए उक्त सीमांकन कानून से अवैध है। उक्त तर्क के समर्थन में 2016(2) रे.नि. पृष्ठ 24 तथा 2014 रे.नि. पृष्ठ 69 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(6) संहिता की धारा 124 के नियम 2 व 3 अनुसार सीमांकन स्थायी चिन्हों के अनुसार किया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया गया। ऐसे चिन्हों के अभाव में निकट के सर्वेक्षण संख्यांक के सही चिन्हों से किया जाना चाहिए, जो नहीं किया गया। इस आधार पर भी सीमांकन कानून से अवैध है। उक्त तर्क के समर्थन में 2009 रे.नि. पृष्ठ 161 एवं 2015 रे.नि. पृष्ठ 14 न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

4/ अनावेदकगण के विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा विधिसंगत सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन के पूर्व आवेदकगण को विधिवत सूचना पत्र तामील कर टी.सी.एम. मशीन से प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं की गई है। अत: सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के निर्देशन में गठित दल द्वारा किया गया प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन विधिवत् होने से सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा आदेश पारित करने में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की गई है, उक्त आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2016 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर